राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(4)साप्र/5/2016 जयपुर, दिनांकः 19.11.18

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में विभाग के आदेश संख्या प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 के क्रम में वरियातानुसार/पात्रतानुसार निम्नांकित अधिकारी को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/– (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) के भुगतान पर **एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो**, के लिए एतद्द्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:–

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	ग्रेड–पे	वरियता संख्या	सेवानिवृति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	डॉ0 हंसराज पहाडिया, सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	6600/- L-16	115/2018	31.01.2052	डी–39, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	श्री अनन्त जैन, सांख्यिकी अधिकारी, आयोजना (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4800/- L-12	113/2018	30.09.2043	सी–II–38, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होगी :–

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर मे निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
    3. सम्पत्ति विवरण घोषणा–पत्र।
    4. गत भुगतान प्रमाण–पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवंटित आवास का किराया प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को जमा कराना होगा।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

sd/-

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग,(विधुत वृत) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें।
7. अधिशाषी अभियन्ता,/सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष..
10. संबंधित अधिकारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग–कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
14. निजी सहायक, उप शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव